## तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975

1975 का सं.4

तम्बाक् उद्योग का संघ के नियंत्रण के अधीन विकास करने के वास्ते उपबन्ध करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के छब्बीसवीं वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

## अध्याय- । प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम,	1	(1)	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 है।
विस्तार और		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
प्रारम्भ ।		(3)	यह उस सतारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,
			नियत करें:
		*	परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए और विभिन्न राज्यों या उनके
			विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियम की जा सकेगी।

- अध्याय -।। को छोडकर अधिनियम के प्रावधान दि 01/01/1976 से लागू हुए देखें भारत के राजपत्र भाग-।। धारा 3(ii) में अधिनियम दि.27/12/1975.
- आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में धाराएँ 10, 11 और भारत भर में धाराएँ 12, 14 व 15 दि. 28/08/1976 से लागू हुई देखें भारत के राजपत्र के भाग -।। धारा 3(ii) में अधिसूचना दि.28/08/1976.
- महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजराज, तिमलनाडू और उत्तर प्रदेश राज्यों में दि.31/05/1980 से धाराएँ 10 व 11 लागू हंई देखें भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-।। धारा 3(ii) दि. 31/05/1980.

संघ द्वारा नियंत्रण	2		इसके द्वारा घोषित यिका जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि तम्बाकू उद्योग को
की समीचीनता की			संघ अपने नि8यंत्रण के अधीन लेना चाहिए ।
घोषणा			
परिभाषऍं	3		इस अधिनियम में, बज तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
		(क)	"बोर्ड " से धारा 4 के अधीन स्थापित तम्बाक् बोर्ड अभिप्रेत है।
		(ख)	" अध्यक्ष " से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
1944 के 1		(ग)	" संसाधन " का वह, अर्थ होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नामक अधिनियम, 1944 में है
			तथा उसके सभी व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल किया जाऐगा;
		(ঘ)	" व्यौहारी " से तम्बाक् का व्यौहारी अभिप्रत है;
		(ਭ.)	" कार्यपालक निदेशक " से धारा 6 के अधीन नियुक्त कार्यपालक दिनेशक अभिप्रेत है;
		(च)	" निर्यात " और "आयात " से भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा क्रमश: भारत से ले जाना या
			भारत में लाना अभिप्रेत है;
		(छ)	" सदस्य " से बोर्डि का सदस्य अभिप्रत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;
		(ज)	"विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
		(耔)	"रजिस्ट्रीकृत " से "रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला" अभिव्यक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के
			अध्याय-।।। तथा उसके अधीन बताए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;
		(ಹ)	"रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला" से वह ट्यक्ति अभिप्रेत है जिसने वर्जीनिया तम्बाक् उगाने के लिए
			धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया है।

## अध्याय -।। तम्बाकू बोर्ड

बोर्ड की स्थापना	4	(1)	उस तारीख से जिसे, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें,
और उसका गठन			इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा जो तम्बाक् बोर्ड
			कहलाएगा।
		(2)	यह बोर्ड पूर्वोक्त नाम का शाश्वत अत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित
			निकाय होगा जिसे स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन
			की तथा संविदा करने की शक्ति होगी ओगी शकिर्डि

I ii iii iii iv v vii viii ix xii xii viix

" " " ox i

: ; ;;;; :...